

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलूम्वर जिला-सलूम्वर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 43/2023 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर-2023/105

उनवान

1. श्री रूपा पिता गोविन्दा डांजी उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्वर, जिला सलूम्वर (राज.)।

—वादिगण

बनाम

1. श्रीमती देउ बाई पत्नी परथा डांजी उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)।
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक:- 15/04/2025



उपस्थित:-

श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता -वादी

श्री विरेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता - प्रतिवादी संख्या 1 एक

वादी ने वाद बाबत् पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया। न्यायालय के निर्णय दिनांक 28-08-2024 द्वारा प्रकरण मे मौजा गुडेल पटवार हल्का गुडेल की आराजी नम्बर 5482/4744 रकबा 0.77 हैक्टेयर भूमि मे दर्ज खातेदारो के मध्य हिस्से अनुसार बंटवाडे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार सलूम्वर के पत्रांक 730 दिनांक 10-10-2025 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष को करवाया गया। उभयपक्ष ने प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर करते हुए माफिक पालना रिपोर्ट प्रकरण मे बंटवाडे की अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अतः उभयपक्ष को सुनने व पालना रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त मौजा गुडेल पटवार हल्का गुडेल आराजी नम्बर 5482/4744 रकबा 0.77 हैक्टेयर कृषि भूमि में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

1. खातेदार का नाम- श्री रूपा पिता गोविन्दा डांजी के खाते आराजी नम्बर 5482/4744/1 रकबा 0.3850 हैक्टेयर, किस्म मंगरी, लगान 0.11 रूपये।
2. खातेदार का नाम- देउबाई पत्नी परथा डांजी निवासी गुडेल के खाते आराजी नम्बर 5482/4744/2 रकबा 0.3850 हैक्टेयर, किस्म मंगरी, लगान 0.11 रूपये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्वर जिला -सलूम्वर

वज्रिये:- श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.

वाद संख्या-43/2023

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट.


उनवान-श्री रूपा वनाम श्रीमती देउबाई

पालना रिपोर्ट क्रमांक 730 दिनांक 10-10-2025 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय का जूज हिस्सा है। पक्षकारों के हिस्से अनुसार खाते पृथक-पृथक कायम किये जावे तथा माफिक निर्णय अंतिम डिक्री जारी की जाकर पालार्थ तहसीलदार सलूम्वर को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय दिनांक 15/04/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।




(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्वर
सहायक कलेक्टर सलूम्वर
जिला-सलूम्वर
जिला सलूम्वर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलूम्वर जिला-सलूम्वर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 43/2023 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर-2023/105

उनवान

1. श्री रूपा पिता गोविन्दा डांजी उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्वर, जिला सलूम्वर (राज.)।

-वादिगण

बनाम

1. श्रीमती देउ बाई पत्नी परथा डांजी उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)।
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)।

-प्रतिवादिगण

वाद बाबत पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक:- 15/04/2026

वादीपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से एडवोकेट श्री सोहनलाल चौधरी एवं प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री विरेन्द्र कुमार पटेल की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 15/04/2026 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा गुडेल पटवार हल्का गुडेल आराजी नम्बर 5482/4744 रकबा 0.77 हैक्टेयर कृषि भूमि में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

1. **ख्वातेदार का नाम-** श्री रूपा पिता गोविन्दा डांजी के खाते आराजी नम्बर 5482/4744/1 रकबा 0.3850 हैक्टेयर, किस्म मंगरी, लगान 0.11 रूपये।
2. **खातेदार का नाम-** देउबाई पत्नी परथा डांजी निवासी गुडेल के खाते आराजी नम्बर 5482/4744/2 रकबा 0.3850 हैक्टेयर, किस्म मंगरी, लगान 0.11 रूपये।

पालना रिपोर्ट क्रमांक 730 दिनांक 10-10-2025 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय का जूज हिस्सा है। पालार्थ तहसीलदार सलूम्वर को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

इस वाद के खर्चे पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 15/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।




(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सहायक सलूम्वर सलूम्वर
जिला सलूम्वर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला -सलुम्बर

वाद संख्या-43 / 2023

उजवान-श्री रुपा बनाम श्रीमती देउबाई

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट.

वादे के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	04	00	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	02	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपयेपरप्लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6.कमिश्नर की फीसतलवाना	01	00	6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील	02	00			00
8. स्टाम्प		00			
योग	07	00		02	00




सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर सलुम्बर
सलुम्बर
जिला सलुम्बर